कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2020—2021

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई—निविदा
(द्वितीय आमंत्रण)

कीमत रू. 5000/—
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक— 35/2020—21

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क 35/2020–21

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	26-10-2020 11.00 AM	16-11-2020 5.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	26-10-2020 11.00 AM	16-11-2020 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	26-10-2020 11.00 AM	17-11-2020 5.00 PM	
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	18-11-2020 12.30 PM	-	
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	18-11-2020 12.30 PM	-	
6	FINANCIAL BID OPEN	**Information will be given separately**	-	

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104, +91–9179705483, +91–9644695933, +91–8827730393,

निविदाकार को सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है तथा यथा आवश्यक उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी दिनांक 17.11.2020 को सायंकाल 05.00 बजे तक कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय में जमा कर

<u>पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–</u>

1. धरोहर राशि रूपये 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रू) ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) सभी पृष्ठ
3. फर्म/संस्था की स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र।

4. वित्तीय वर्ष, 2017–18 एवं 18–19 (एसेसमेंन्ट ईयर 18–19 एवं 19–20) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र
6. पैन कार्ड
7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
8. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 15.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2018–19)
9. खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस

फिजिकल बिड में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–

1. ऑनलाईन निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजों की प्रतियॉ लिफाफा – ए
2. पारदर्शी कंटनरों में सुखी सामग्रियों का नमूना एवं उसकी सूची लिफाफा – बी

ई–निविदा के नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु वर्ष 2020–21 के लिये ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाऍ स्वीकार नही की जावेगी। ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रू) ऑनलाईन जमा करनी होगी। जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होंगी उनसे प्रदाय की जाने वाली कुल अनुमानित वार्षिक सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत अनुबंध करते समय अमानत राशि डी.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
4. **प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।**
5. कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय की भण्डार क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को कारण बताकर अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदा अवधि एक वर्ष अथवा आगामी नवीन निविदा लागू होने तक प्रभावशील होगी। यदि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई योजना लागू की जाती है तो योजना के अनुसार ठेका अवधि बीच में भी समाप्त की जा सकती है।

10. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
11. समस्त खाद्य सामग्री का प्रदाय चिकित्सालय की पाकशाला भण्डार (किचेन) पर अधिकृत किये गये पदाधिकारी के लिखित/मौखिक/दूरभाष पर दिये गये आदेशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रदाय की जाने वाली पैक सामग्री में पैकिंग की तिथि, वजन, एम.आर.पी. एवं उपयोग की तिथि की जानकारी निर्माता द्वारा मुद्रित/अंकित होना अनिवार्य है। बिना इनके सामग्री स्वीकार नही की जावेगी।
12. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
13. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात किया जावेगा। जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
14. निविदाओं के संबंध में क्रय समिति का निर्णय सभी निविदाकारों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
15. सामग्री की मात्रा चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या के अनुरूप घटाई एवं बढाई जा सकती है।
16. प्रदाय की जाने वाली समस्त खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये। जिन सामग्री में एगमार्क उपलब्ध हो एगमार्क की ही दी जावें। प्रदाय सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी। यदि गुणवत्ता मे कमी पाई जायेगी तो अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
17. यदि निविदाकार मांग अनुसार सामग्री की पूर्ति करने में हीलाहवाली करता है, सामग्री गुणवत्ता पूर्ण नही पाई जाती है तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. प्रदाय की जाने वाल खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये । खराब सामग्री के कारण चिकित्सालय मे भर्ती किसी भी मरीज को किसी प्रकार का नुकसान होता है तथा जांच मे सिद्व पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी । इस पर वैधानिक कार्यवाही भी निविदाकार के विरूद्व की जावेगी।
19. खाद्य सामग्री की दरें निविदा स्वीकृति के समय तहसीलदार रीवा से प्राप्त दरों की सीमा के भीतर ही स्वीकार होंगी। तहसील दर से उपर की दरें प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदाकार को तहसील दर पर ही खाद्य सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा अथवा उससे नीचे की दर मान्य होगी पर प्रदाय की जाने वाले सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहियें।
20. निविदाकार के पास खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस होना अनिवार्य है।
21. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।
22.

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः– ए

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें। पृष्ठ क्र. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	अमानत राशि रू. 350000.00 ऑनलाईन जमा करने की रशीद की छायाप्रति संलग्न				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय)				
3.	फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 (एसेसमेंन्ट ईयर 18–19 एवं 19–20) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	100.00 राशि के नॉन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः				
6	पैन कार्ड की छायाप्रति				
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति				
8.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 15.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2018–19)				
9.	खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस				
10.	बन्द लिफाफे में पारदर्शी कंटेनरों मे सूखी सामग्री के नमूने एवं उनकी सूची।				

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

1. मोबाइल नं, बैंक का नाम एवं पता, खाता संख्या, आई.एफ.एस.कोड आदि

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

–घोषणा–पत्र–

(100/– रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेष राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लबित नही है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे/संस्था के उपर राज्य शासन/केन्द्र शासन को देय कोई भी कर बकाया नहीं है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांकः

(निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम– ....

पूरा पता– ....

फोन एवं मोबा. न.– ....

गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर

1.

2.

3.

<u>लिफाफा बी नमूना हेतु</u>

क.	सूखी सामग्री का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

स्थान :–
दिनांक :–

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील

प्राइस बिड केवल आनलाईन भरा जावे

प्रदाय की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए।

क्र.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	दर अंको में	दर शब्दों मे
	प्रवर्ग–1		प्रति इकाई(क्विंटल/नग/टिन आदि)	
1.	गेहूं	400 क्विंटल		
2.	गेहूं का पिसा हुआ आटा 25 किलो की बोरी	500 क्विंटल		
3	चावल	350 क्विंटल		
4	दाल अरहर छिल्कारहित	200 क्विंटल		
5	दाल मूंग छिलका युक्त	75 क्विंटल		
6	मसूर खड़ी	01 क्विंटल		
7	चना दाल	15 क्विंटल		
8	सफेद तिल	03 क्विंटल		
9	गेहॅू की पिसाई (आटा/दलिया सफाई एवं ढूलाई सहित)	400 क्विंटल		
10	बेसन (चना)	02 क्विंटल		
	प्रवर्ग –2			
1.	हल्दी पिसी	06 क्विंटल		
2.	धनिया खड़ी	06 क्विंटल		
3.	जीरा खड़ा	03 क्विंटल		
4.	मैथी खडी	02 क्विंटल		
5.	नमक पिसा आयोडिन युक्त	35 क्विंटल		
6.	शक्कर रबेदार	30 क्विंटल		
7.	गुड़ सूखा पुराना	30 क्विंटल		
8.	भूजां चना	02 क्विंटल		
9.	मूगफली दाना	10 क्विंटल		
11.	लाई मूरमूरा	02 क्विंटल		
12.	सूजी	01 क्विंटल		
13.	पोहा	30 क्विंटल		
14.	सोंठ	01 क्विंटल		
15.	चायपत्ती	03 क्विंटल		
16.	दूध पाउडर (अमूल)	01 क्विंटल		
	प्रवर्ग– 3			
1.	बैगन	20 क्विंटल		
2.	लौकी	30 क्विंटल		
3.	कोहडा हरा	30 क्विंटल		

4.	आलू	30 क्विंटल		
5.	फूल गोभी	10 क्विंटल		
6.	पत्ता गोभी	10 क्विंटल		
7.	टमाटर पका	30 क्विंटल		
8.	पालक भाजी	10 क्विटल		
9.	परवल	05 क्विंटल		
10.	बरबटी	05 क्विंटल		
11.	भिण्डी	05 क्विंटल		
12.	प्याज	30 क्विंटल		
13.	लहसुन	02 क्विंटल		
14.	मूली	05 क्विंटल		
15	गाजर	05 क्विंटल		
16	खीरा	20 क्विंटल		
17	ककड़ी	05 क्विंटल		
18.	गिलकी (रिरूआ)	10 क्विंटल		
19.	चुकंदर	05 क्विंटल		
20.	हरी मिर्च	02 क्विंटल		
	प्रवर्ग–04			
1.	मुसम्मी (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
2.	सेव फल (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
3.	संतरा (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
4.	केला पका (1 किलो में 7 से 8 पीस तक)	500 क्विंटल		
5.	पपीता	01 क्विंटल		
6.	डबल रोटी	05 क्विंटल		
7.	अण्डा (मुर्गी)	25000 नग		
8.	पंचमेवा (नारियल,छोहरा,मखाना,किशमिश,पोस्तादाना	10 क्विंटल		
9.	बिस्कुट (पार्ले–जी बंद पैकेट)	100 क्विंटल		
10.	बिस्कुट (ब्रिटानिया बंद पैकेट)	100 क्विंटल		
10.	टोस्ट	20 क्विंटल		
	<u>प्रवर्ग–5</u>			
1.	दूध 5 प्रतिशत चिकनाई	50000 लीटर		
2.	पनीर	01 क्विंटल		
3.	मठ्ठा	02 क्विंटल		
	<u>प्रवर्ग–6</u>			
1.	खाद्यय तेल (रिफाइंड एगमार्क सील्ड पैक 15 लीटर) 1. फारचून 2. सरसों तेल पतंजली 3. सरसों तेल सिक्का 4. सरसों तेल तेज	300 टिन		

2.	नारियल तेल (सील बंद एगमार्क)	50 लीटर		
3.	देशी घी (सील बंद एगमार्क) 1. अमूल 2. पतंजली 3. कृष्णा	1500 लीटर		
प्रवर्ग–7_कोविड–19 मरीजों हेतु				
1	1. डिस्पोजेवल थाली 08 खंधा वाली ढक्कन युक्त 2. डिस्पोजेवल कटोरी मिडियम साईज 3. डिस्पोजेवल गिलास 4. डिस्पोजेवल कप चाय हेतु 5. रवर बैंड बडे साईज 6. पीने हेतु बंद बोतल में पानी– 1 लीटर पैकिग 1. सोनांचल जल 2. धारा 3. बिस्लरी	20,000 नग 10000 नग 60000 नग 10000 नग 100 पैकेट 60000 लीटर		

नोटः–उपरोक्त सामग्री की मात्र एक वर्ष के लिये अनुमानित है। चिकित्सालय मे भर्ती मरीजों की संख्या के अनुरूप सामग्री घटाई एवं बढाई जा सकेगी।

स्थान :–
दिनांक :–

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील